388 रुपये बिक्री 105000/- 0.05G. सिमडेगा 382 1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

4/3/13

Cash ₹ 4200/-

46 (1) P&O (a) (b) (1) 1050=00

23I.A with Petn. in Misc. case

Petn. in connection with D.C.C.R. Sanha Upvidhi case

0066-07-08 dated 26.3.08

दस्तावेज़	2.50
दस्तावेज़	0.94
	3=44
	1053=44

29/3/08

29.3.08

अमरीता खेस्स
29.3.08

1) लेखयकारिणी :- अमरीता खेस्स पिता स्व० हरमार्डल खेस्स
जाति- उराँव, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- सिमडेगा घोरोटोली
थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

..... विक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या :- 217 - 1 2008

नोक आयुक्त सिमडेगा पंजीयन
ग्रंथ सिमडेगा, झारखण्ड पंजीयन
सिमडेगा, जिला सिमडेगा
29-3-08

1000Rs.

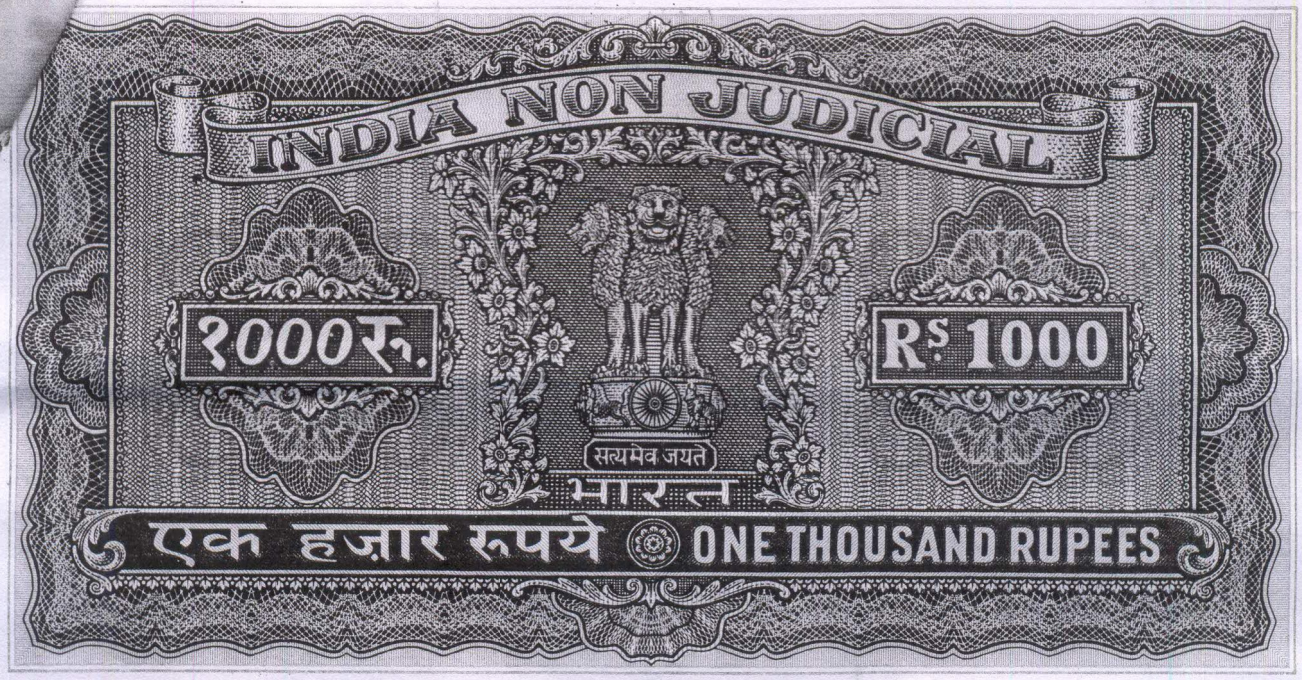

(2) लेख्यधारिणी:- श्रीमती बहालेन केरकेट्टा पति श्री दानियल केरकेट्टा, जाति- खड़िया, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- जोकबहार, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

शपथ-पत्र संख्या:- 218 - / 2008

(3) लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला बैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

(4) मूल्य:- मोबलिग एक लाख पाँच हजार रुपये अंके 1,05,000/- रुपये होता है ।

(5) सम्पति:- एराजियात अन्दर मौजा- सिमडेगा घोचोटोली थाना- सिमडेगा, थाना नं0 116, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 64 (चौंसठ) प्लॉट नं0 619 (छः सौ उन्नीस) रकबा 0.43 एकड़ में से 0.10 एकड़ (दस डिसमिल) आवासीय जमीन ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश रास्ता

दक्षिण:- इसी प्लॉट का अंश घेरा

पूरब :- इसी प्लॉट का अंश नीज विक्रेता

पश्चिम:- इसी प्लॉट का अंश रास्ता ।

29.3.08

29/3.08

1000Rs.

मालगुजारी 5 पैसा (पाँच पैसा) अलावे सेस सलाना ।

(1) चुँकि मुझ लेख्यकारिणी को मकान निर्माण एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार की ।

(2) इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेची और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

(3) मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन खतियानी है । खतियान में मेरे दादा बुधु उराँव वगैरह के नाम से नाप दर्ज है । मेरे दादा एवं पिता की मृत्यु हो चुकी है । मेरे पिता की मृत्यु के बाद उक्त जमीन मुझे अकेला उत्तराधिकारी के हैसियत से प्राप्त है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार

अक्षरोल्ला [illegible]
29.3.08

का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

(4) चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 66/07-08 है जिसकी स्वीकृति 26.3.08 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 352 दिनांक 26.3.08 है ।

(5) अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

(6) इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला बैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

29.3.08

100Rs.

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- संजय कुमार महतो
अधिवक्ता

(प्रारूपकर्त्ता) 29.3.08

तारीखः-

अशरीता रवेस्स
29.3.08

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 586 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्शा सहित है एवं मूल दस्तावेज के साथ दाखिल द्वितीयक प्रति एक दूसरे की हूबहू एवं सच्ची प्रतिलिपि है ।

सही/- असरीता रवेस्स
29.3.08

टंकक
मो० मकसूद
29.3.2008

मो० मकसूद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

—5—

मैं लेख्यकारिणी यह घोषणा करती हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

असरीता खेस्स
29.3.08

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारिणी के बांये हाथ का पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
29.3.08

असरीता खेस्स
29.3.08

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

बहालेन केरकेट्टा
29.3.08

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी के बांये हाथ का पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
29.3.08

106/08

000 3 63/08

Sobhna 31 dt 20-3

जिला कोषागार पदाधिकारी
20 MAR 2008
सिमडेगा

श्रीमती असरीता खेस्स
पति स्व. इस्माइल खेस्स
सा. ... जिला सिमडेगा को
निम्नलिखित ननजुडिशियल स्टाम्प
वास्ते कबाला
रकम 4200/-

20/3/08
कोषागार लिपिक
सिमडेगा कोषागार

1000×4=4000=
100×2=200=
कुल 4200=

अभिप्रमाणित
संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
29.3.08

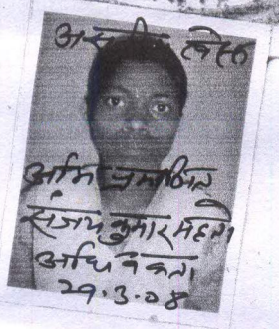

असरीता खेस्स
29.3.08

29.3.08

असरीता खेस्स
स्व. इस्माईल खेस्स
सिमडेगा कोलेबिरा
सिमडेगा शहरी

29/3/08

उपर्युक्त असरीता खेस
ने लेख्य का निष्पादन स्वीकार किया है
जिनकी पहचान श्री आनन्द खेस
पिता स्व. पतरस खेस
सामटोली की है।

29/3/08

बु.प्र.अं.
U.3/08

असरीता खेस्स
29.3.08

बु.प्र.अं.
U.3/08

आनन्द खेस
29.3.08